न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 54/23

1. गीतादेवी पत्नि पूर्णाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजश्री पत्नि रामरख जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नानुखां पुत्र लाब्दीखां जाति कायमखानी निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. लुणेखां पुत्र मुकनेखां जाति कायमखानी निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मन्नु पुत्री मुकनेखां जाति कायमखानी निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रोशन पुत्री मुकनेखां जाति कायमखानी निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, थिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 07-11-24

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 446 चार सौ छियालीस तादादी 8.0937 आठ दशमलव जीरो नौ तीन सात हेक्टेयर वाके रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण की 1/2 एक बट्टा दो हिस्सा भूमि है। जो मौका पर वादगत भूमि में कटाणी रास्ता के पास उतरी पूर्वी साईड में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 5.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 6 छः के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार नेनी पत्नि मुकनेखां का स्वर्गवास हो चुका है व रामज्यानखां पुत्र मुकनेखां कुंवारा फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 5 पांच ही है। जो वाद में पक्षकार है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम वाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीगण द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर की खसरा संख्या 446 तादादी 8.0937 हेक्टेयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादीगण की 1/2 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 07/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर